Seventeenth Loksabha

>

Title: Request the government to make amendment in the Ladakh Autonomous Hill Development Council Act 1997.

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप इस बार तीन दिन के लिए लद्दाख गए थे । आपने पांगोंग झील भी देखी, आप साबू में भी गए और पंचायतों के मेंबर्स से भी मिलें । आपने हमारे दोनों ऑटोनॉमस हिल डेवलेपमेंट काउंसिल के मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन भी किया । आपने स्वयं लेह काउंसिल के सचिवालय में भी विजिट किया । उस वक्त वहां से एक मांग उभरकर आई है । लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, इस सरकार ने देश में एक अलग किस्म का यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया है । इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं ।

लद्दाख यूनियन टेरिटरी में दो ऑटोनॉमस हिल डेवलेपमेंट काउंसिल्स हैं । वह पहले जम्मू-कश्मीर के संविधान के हिसाब से चलती थी और अभी भी वह ऐसे ही चल रही है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि नया यूटी बनने के बाद जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलेपमेंट काउंसिल एक्ट है, जो सन् 1997 में बना था, उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है । उसमें डिफाइन करने की आवश्यकता है । उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय या एमएचए का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत, इन दोनों के साथ-साथ काउंसिल को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए ।

उसी एलएएचडीसी एक्ट को अमेंड करके लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशनल सेवगार्ड्स जमीन, इम्प्लॉयमेंट, कल्चरर आइडेन्टिटी को लेकर, नॉर्थ-ईस्ट के सिक्स शेड्यूल के अंदर जो काउंसिल्स आते हैं, वे फिफ्थ शेड्यूल के अंदर भी आते हैं, लेकिन लद्दाख वाला काउंसिल फिफ्थ और सिक्स दोनों शेड्यूल के अंदर नहीं आता है । तो उसका क्या प्रावधान है? ऐसी अच्छी-अच्छी चीजें लद्दाख

ऑटोनॉमस हिल डेवलेपमेंट काउंसिल के जरिए लद्दाख को देने की आवश्यकता है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं ।